राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

होली व धुलण्डी के त्योंहार पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 15 मजिस्ट्रेट नियुक्त

झुंझुनू, 18 फरवरी: जिला मजिस्ट्रेट आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी कर आगामी 28 फरवरी व एक मार्च को सम्पन्न होने वाले होली व धुलण्डी के त्योंहार पर जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 15 मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हैं। झुंझुनू शहर के लिए यहां के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मण्डावा के लिए झुंझुनू तहसीलदार, बिसाऊ के लिए मलसीसर के नायब तहसीलदार, बगड़ के लिए झुंझुनू के नायब तहसीलदार, चिड़ावा के लिए वहां के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पिलानी के लिए चिड़ावा तहसीलदार, सूरजगढ़ के लिए वहां के नायब तहसीलदार, खेतड़ी, बुहाना व उदयपुरवाटी के लिए वहीं के तहसीलदार, मुकुन्दगढ़ के लिए नवलगढ़ के नायब तहसीलदार और नवलगढ़ के लिए उदयपुरवाटी, खेतड़ी व नवलगढ़ के उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा नवलगढ़ के तहसीलदार को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने इन दोनों पर्वो पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिये हैं कि कहीं भी दो समुदायों में पूर्व से किसी बात को लेकर मन मुटाव व तनाव बना हो तो वहां पर स्थानीय स्तर पर शांति समिति की बैठक बुलाकर दोनों पक्षों में समझाईश की जाये तथा सर्व मान्य हल ढूढंने का प्रयास भी किया जाये। असामाजिम तत्वों द्वारा इस अवसर पर गडबड़ी तथा साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति का आंकलन करते हुये विशेष सतर्कता बरती जाये और ऐसे तत्वों के विरूद्ध कठोर कदम उठाये जायें। दो समुदायों के बीच सांमजस्य एवं साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित किया जाये और अतिसंवेदनशील स्थानों पर आवश्यक पुलिस बंदोबस्त भी किया जाये।

आदेशानुसार संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के लिए समग्र रूप से प्रभारी मजिस्ट्रेट रहेंगे जबकि अपर जिला मजिस्ट्रेट के.एल. मीणा समस्त झुंझुनू जिला क्षेत्र के लिए समग्र रूप से प्रभारी मजिस्ट्रेट रहेंगे, जिनके दूरभाष नम्बर 01592-233305 (कार्यालय) व 233303 (आवास) है। सभी अधिकारी एक दूसरे से संवाद बनाये रखेगे और किसी भी प्रकार की घटना से प्रशासन को समय-समय पर अवगत कराते रहेंगे।

पंचायत चुनावों के दौरान विधिमान्य षष्ठांश मत नहीं प्राप्त करने वाले 56 जिला परिषद सदस्यों की प्रतिभूति राशि जब्त

झुंझुनू, 18 फरवरी: जिला परिषद के रिटर्निंग अधिकारी एवं कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके पंचायत चुनावों के दौरान जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले 56 ऐसे सदस्यों की प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश जारी किये हैं जिन्होंने विधिमान्य मतों के षष्ठांश मत भी प्राप्त नहीं किये हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी के.एल. मीणा ने बताया कि प्रतिभूति राशि जब्त कराने वालों में बसपा की मीनाक्षी देवी, किस्तुदी देवी, कुरडाराम, सियाराम, रामपाल, रामचन्द्र, शिम्भुराम व हरद्वारी लाल हैं, जबकि भाजपा के भूपेन्द्र सिंह, ख्यालीराम, नाहर सिंह थालोर, अनिता शर्मा व रतिराम हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहनलाल व ईश्वर सिंह, मापका के सुमेर, हीरालाल, दलीप सिंह, रामकरण, धन्नाराम व सुरेश कुमार, निर्दलीय मनोहरी देवी, धन्नाराम, संतोष, रफीक खान, नरेश कुमार, दयाराम, अशोक कुमार स्वामी, दुर्गाप्रसाद, उम्मेद सिंह, जयप्रकाश, बनवारी लाल शर्मा, रोहिताश्व कुमार, विष्णु सिंह, गुरूदयाल, मातुराम, राधादेवी, रूकमणी, ललिता, शर्मिला, दुर्गाप्रसाद, रामेश्वर, ज्योति, महावीर, राजकुमार, रामचन्द्र, सुरेश कुमार, हनुमान प्रसाद, प्रभु सिंह, सुरेन्द्र सिंह, धर्मपाल सिंह, प्रेम चन्द, शांति देवी, प्यारेलाल, योगेश व वीरेन्द्र हैं।